

कार्यालयः— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर

क्रमांक—104/सीजे/2024

सागर, दिनांक—13.08.2024

आपराधिक कार्य विभाजन आदेश 2024 (संशोधन क्रमांक—5)

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा—12 व 13 के अंतर्गत दार्ढिक कार्य विभाजन)

मैं, के.पी. सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर, प्रशासनिक दृष्टि से “कार्य विभाजन पत्रक आदेश 2024” में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) के अंतर्गत आंशिक संशोधन करते हुए उक्त आदेश की कंडिका—01, 03, 04, 07, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 19 एवं 20 तथा सामान्य आदेश की कंडिका क्रमांक 12 तथा अनुलग्नक क्र. 01 की कॉलम क्रमांक 06, 17, 18, 19, 20 एवं 21 तथा अनुलग्नक क्र. “दो” की सारणी क्रमांक—2 के कॉलम नंबर 01 एवं 05 में आंशिक संशोधन करते निम्नानुसार कार्य विभाजन आदेश प्रसारित करता हूँ—

क्रं	मजिस्ट्रेट के.पी. सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर	अधिकार क्षेत्र आरक्षी केन्द्र मोतीनगर, गोपालगंज, मकरोनिया आबकारी वृत्त सागर के जिला मुख्यालय से उद्भूत मामले व श्रम एवं खनिज से संबंधित मामले।	कार्य विभाजन
1			<p>1— पुलिस थाना <u>मोतीनगर, गोपालगंज,</u> <u>मकरोनिया, आबकारी वृत्त सागर</u> के जिला मुख्यालय से उद्भूत सभी प्रकरण व श्रम एवं खनिज से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी एवं उपार्पण योग्य समस्त पुलिस चालान, खातगा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध^{अपराधों} एवं विशेष अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>2— राबंधित थानों के सिनेमा अधिनियम, एवं कॉपीराइट एक्ट के प्रकरण।</p> <p>3— संपूर्ण जिला सागर के सभी थाना से संबंधित खारिजी आवेदन।</p> <p>4— नगर निगम सागर, नापतौल विभाग एवं अन्य समस्त शासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>5— औषधि और प्रसाधन सामग्री अधि., 1940 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</p> <p>6— सागर क्षेत्र के सभी आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत मेटल हेल्थ एक्ट 1987 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले इस्तगारा/परिवाद पत्र प्रस्तुत किये जावेगे।</p> <p>7— क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सागर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>8— संपूर्ण सागर जिला में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रहे प्रकरणों से संबंधित धारा 450 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत</p>

			<p>प्रस्तुत आवेदन पत्र।</p> <p>9— साक्षियों के क्षमादान से संबंधित आवेदन पत्र एवं जिले के बाहर के न्यायालयों से प्राप्त कमीशन के निष्पादन की कार्यवाहियां।</p> <p>10— खाद्य अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रकरण।(सागर तहसील से संबंधित)</p> <p>11— ऐसे प्रकरण जो अन्य मजिस्ट्रेट के न्यायालय से इस न्यायालय को आहरित किये जाये या वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा इस न्यायालय को अंतरित किये जाये।</p>
3.	श्री अंकित श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी. सागर	आरक्षी केन्द्र कोतवाली	<p>1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना—कोतवाली से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, धारा 138 एन.आई.एकट, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाने से उत्पन्न समर्त वारण्ट एवं स्थायी वारण्ट की कार्यवाहियां।</p> <p>2— संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले।</p> <p>3— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p>
4	श्री प्रीतम बंसल जे.एम.एफ.सी. सागर	आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन, केंट, यातायात, वन (तहसील सागर से संबंधित वन परिक्षेत्र)एवं जी. आर.पी. सागर	<p>1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना—सिविल लाईन, केंट, यातायात, वन एवं जी.आर.पी. सागर से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/ उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद,धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आवेदन, धारा 138 एन.आई.एकट, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाने से उत्पन्न समर्त वारण्ट एवं स्थायी वारण्ट की कार्यवाहियां।</p> <p>2— तहसील सागर के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन से संबंधित प्रकरण।</p> <p>3— ग्राम न्यायालय से संबंधित उत्पन्न समर्त दांडिक प्रकरण।</p> <p>4— संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले</p>

			<p>मामले एवं आरक्षी केन्द्र कोतवाली से संबंधित एन.डी.पी.एस. के मामलों में समस्त सैंपलिंग कार्यवाही</p> <p>4— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p>
7	श्री आशीष शर्मा जे.एम.एफ.सी. सागर	आरक्षी केन्द्र, जैसीनगर	<p>1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना <u>जैसीनगर</u> से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं.के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एकट, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाने से उत्पन्न समस्त वारण्ट एवं स्थायी वारण्ट की कार्यवाहियां।</p> <p>2— संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं आरक्षी केन्द्र सुरक्षी से संबंधित एन.डी.पी.एस. के मामलों में समस्त सैंपलिंग कार्यवाही।</p> <p>3— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p>
9	सुश्री रीना शर्मा, जे.एम.एफ.सी. सागर	आरक्षी केन्द्र, नरयावली	<p>1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना <u>नरयावली</u> से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एकट, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाने से उत्पन्न समस्त वारण्ट एवं स्थायी वारण्ट की कार्यवाहियां।</p> <p>2— संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं आरक्षी केन्द्र बहेरिया से संबंधित एन.डी.पी.एस. के मामलों में समस्त सैंपलिंग कार्यवाही।</p> <p>3— आरक्षी केन्द्र, नरयावली से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों से संबंधित समस्त मामले (उपार्पण योग्य राहित) एवं परिवाद(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिन 2005, धारा</p>

			144 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत भरण पोषण, के प्रकरण एवं उनसे उदभूत अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।
11	श्री राहुल सोनी, जे.एम.एफ.सी. सागर एवं श्रृंखला न्यायालय राहतगढ़	आरक्षी केन्द्र, राहतगढ़ एवं वन (तहसील राहतगढ़ से संबंधित वन परिक्षेत्र)	4— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
13	शिखा चतुर्वेदी, जे.एम.एफ.सी. सागर		<p>1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस थाना राहतगढ़ से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एक्ट, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाने से उत्पन्न समस्त वारण्ट एवं रथायी वारण्ट की कार्यवाहियां।</p> <p>2— संबंधित थाने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले अल्प मात्रा के मामले।</p> <p>3— तहसील राहतगढ़ के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो थाना जैसीनगर एवं नरयावली के अंतर्गत आते हैं, उन्हें छोड़कर। (कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला सागर से प्राप्त सूची इनेक्सर “ए” संलग्न)</p> <p>4— आरक्षी केन्द्र, राहतगढ़ से उदभूत महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों से संबंधित समस्त मामले (उपार्पण योग्य सहित) एवं परिवाद(घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनीय 2005, धारा 144 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत भरण पोषण, के प्रकरण एवं उनसे उदभूत अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।</p> <p>5— तहसील राहतगढ़ के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों से उत्पन्न भारतीय वन अधिनियम, 1927 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>6— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p> <p>1— आरक्षी केन्द्र, मोतीनगर, कोतवाली एवं जी.आर.पी. सागर से उदभूत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले (उपार्पण योग्य सहित) एवं परिवाद, (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, धारा 144 भा.ना.सु.सं.के अंतर्गत भरण पोषण, के प्रकरण एवं</p>

		<p>उनसे उद्भूत अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।</p> <p>2— आरक्षी केन्द्र सानौधा, सिविल लाईन, से संबंधित एन.डी.पी.एस. के मामलों में समस्त सैंपलिंग कार्यवाही।</p> <p>3— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p>
14	श्री विनय सिंह राजपूत, जे.एम.एफ.सी. सागर	<p>1— आरक्षी केन्द्र मोतीनगर, से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं आरक्षी केन्द्र मकरोनिया, गोपालगंज से संबंधित एन.डी.पी.एस.के मामलों में समस्त सैंपलिंग कार्यवाही।</p> <p>2— पुलिस आरक्षी केन्द्र मोतीनगर, से उत्पन्न धारा 138 एन.आई.एक्ट के प्रकरण।</p> <p>3— आरक्षी केन्द्र मोतीनगर, आबकारी, श्रम एवं खनिज से उत्पन्न धारा—175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन एवं समस्त परिवाद प्रकरण एवं थाना मोतीनगर, आबकारी मुख्यालय, श्रम एवं खनिज सागर से उत्पन्न समस्त वारंट/स्थायी वारण्ट की कार्यवाहियां।</p> <p>4— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p>
16.	श्री विजिताश्व पुष्कर जे.एम.एफ.सी. सागर	<p>1— आरक्षी केन्द्र मकरोनिया, गोपालगंज से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं आरक्षी केन्द्र मोतीनगर से संबंधित एन.डी.पी.एस.के मामलों में समस्त सैंपलिंग कार्यवाही।</p> <p>2— पुलिस आरक्षी केन्द्र मकरोनिया, गोपालगंज से उत्पन्न धारा 138 एन.आई.एक्ट के प्रकरण।</p> <p>3— आरक्षी केन्द्र मकरोनिया, गोपालगंज से उत्पन्न धारा—175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन एवं समस्त परिवाद प्रकरण एवं थाना मकरोनिया, गोपालगंज सागर से उत्पन्न समस्त वारंट/स्थायी वारण्ट की कार्यवाहियां।</p> <p>4— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p>

17	सुश्री सुरभि सिंह सुमन, जे.एम.एफ.सी.,सागर		<p>1— आरक्षी केन्द्र, सानौंधा, सिविल लाईन, केंट, मकरोनिया, गोपालगंज से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले (उपार्पण योग्य सहित) एवं परिवाद, (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, धारा 144 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत भरण पोषण, के प्रकरण एवं उनसे उद्भूत अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।</p> <p>2— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p>
19	सचेन्द्र कुमार भदकारिया जे.एम.एफ.सी. खुरई	आरक्षी केन्द्र मालथौन एवं खिमलासा	<p>1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस <u>थाना मालथौन एवं खिमलासा</u> से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी /उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं. के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एकट, खात्मा आवेदन एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण।</p> <p>2— संबंधित थानों से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले।</p> <p>3— मालथौन तहसील के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्रों से उत्पन्न समस्त वन एवं खनिज विभाग से संबंधित प्रकरण।</p> <p>4— आबकारी वृत्त मालथौन, खिमलासा से उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>5— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p>
20	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय जे.एम.एफ.सी. खुरई	आरक्षी केन्द्र तहसील खुरई के अंतर्गत होने से आरक्षी केन्द्र बांदरी	<p>1— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय खुरई द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर पुलिस <u>थाना बांदरी</u> से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद, धारा 175(3) भा.ना.सु.सं.के आवेदन, संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन.आई.एकट, खात्मा आवेदन एवं उक्त थाना से उत्पन्न सभी</p>

			<p>वारंट एवं स्थाई वारंट की कार्यवाहियां एवं सभी विविध आपराधिक प्रकरण व सभी विविध आपराधिक कार्यवाहियां।</p> <p>2— संबंधित आने से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सुनवायी योग्य एन.डी.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले मामले एवं आरक्षी केन्द्र खुरई से संबंधित एन.डी.पी.एस. के मामलों में समस्त सैपलिंग कार्यवाही।</p> <p>3— आरक्षी केन्द्र, खिमलासा एवं बांदरी से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त मामले (उर्पापण योग्य सहित) एवं परिवाद (घरेलू हिसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005, धारा 144 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत भरण पोषण, के प्रकरण एवं उनसे उद्भूत अन्य विविध कार्यवाहियां सहित)।</p> <p>4— समय—समय पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर द्वारा भेजे गये प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।</p>
--	--	--	--


 (क.पी.सिंह) 13/08/24
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर
 जिला सागर म0प्र0

सामान्य आदेश

1. इस कार्य विभाजन से किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
2. इस आदेश के निर्वहन में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** को संदर्भित किया जावे।
3. वर्तमान कार्य विभाजन आदेश का लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी अनुपस्थिति में **अनुलग्नक—एक** के अनुसार आवश्यक आपराधिक कार्य संपादित किया जावेगा, आवश्यक आपराधिक कार्य से तात्पर्य –रिमाण्ड, जमानत, उपस्थिति माफी आवेदन, वाहन सुपुर्दनामा आवेदन पत्रों का निराकरण तथा संक्षिप्त विचारण शक्तियों से सशक्त होने पर समरी प्रक्रिया के विचारणीय ऐसे प्रकरणों के चालान, जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाकृ करना चाहता है। ऐसे उपस्थित साक्षियों का परीक्षण करना जो वृद्धावस्था तथा किसी बीमारी अथवा दूरस्थ रथान से सम्मन या वारण्ट पर उपस्थित हुआ हो एवं उनका पुनः उपस्थित होना अत्यंत व्यय साध्य एवं असुविधाजनक हो और जहां से उसे आहूत करना असुविधाजनक व असंभव होगा, ऐसे प्रकरण में संबंधित मजिस्ट्रेट आवश्यक साक्ष्य लेने के उपरांत उस प्रकरण को मूल न्यायालय के समक्ष वापस करेंगे अथवा लंबे अवकाश पर जाने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय का उपरोक्त प्रकरण संबंधित मजिस्ट्रेट अपने न्यायालय में पंजीयन कराकर रथानांतरित करवाएगा **न्यायिक मजिस्ट्रेट** की अनुपस्थिति में **अनुलग्नक—एक** के अनुसार आवश्यक आपराधिक कार्य सम्पादित किये जाने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोग पत्र भी लिये जावेंगे, वह उनके न्यायालय में ही सी.आई.एस. में दर्ज करावे जावें तथा संबंधित न्यायालय से रिमाण्ड एवं अन्य पत्रावली तलब कर उसके अभिलेख में संलग्न किये जावें।
5. आवश्यक कार्य देख रहे मजिस्ट्रेट यदि संक्षिप्त विचारण करने हेतु सशक्त हो तो अन्य न्यायालय के ऐसे मामलों का निराकरण कर सकेंगे, जो समरी प्रक्रिया के तहत विचारणीय हो एवं अभियुक्त अन्य जिले का निवासी हो तथा वारण्ट या गिरफ्तार करके लाया गया हो एवं दोष के अभिवाकृ करने का आवेदन करे, तब ऐसे प्रकरण के अभिलेख निराकरण पश्चात मूल न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वापस होगा।
6. सागर नगर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत चलित न्यायालय सुपुर्दगी की व्यवस्था मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार की जावेगी।
7. समरत न्यायिक मजिस्ट्रेट (जिन्हें समरी पावर दिया गया है) अपने क्षेत्राधिकारिता में चलित न्यायालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति एवं पूर्व सूचना उपरांत आयोजित करेंगे।
8. जिला मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन जिले के समरत आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

9. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ल्यूटी में परिवर्तन किया जावेगा।
10. संबंधित मजिस्ट्रेट अपने—अपने आरक्षी केन्द्र क्षेत्र की ओर से प्रस्तुत होने वाले अंतिम प्रतिवेदन स्वीकृत किये जाने के लिए प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण करेंगे।
11. सागर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से संबंधित अपराधों के बारे में **धारा 196 भा.ना.सु.सं.** के अधीन अपराधी की संरक्षीयता या साक्षियों के कथन **अनुलग्नक—दो** में वर्णित मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किये जावेंगे।
12. जिन मजिस्ट्रेट्स का स्थानान्तरण हो चुका है और उनके स्थान पर किसी न्यायाधीश की पदस्थापना नहीं हुई है तथा वह न्यायालय रिक्त है तो उनसे संबंधित **समस्त वारंट एवं स्थायी वारंट व रिक्त न्यायालय के मजिस्ट्रेट** द्वारा निराकृत आपराधिक प्रकरण एवं उससे संबंधित विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां से संबंधित अन्य विविध कार्यवाहियां तथा पूर्व पीठारीन अधिकारियों द्वारा पारित निर्णय जिनके न्यायालय मुख्यालय पर वर्तमान में रिक्त है, की अपील/निगरानी माननीय अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश का परिपालन संबंधित आरक्षी केन्द्र के प्रभार वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जावेगा, परंतु जो न्यायालय वर्तमान में कार्यरत है, उनके द्वारा जारी वारंट अथवा स्थाई वारंट उसी न्यायालय के द्वारा संपूर्ण कार्यवाही संपादित की जावेगी अर्थात् यदि प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में लंबित हो तो उस न्यायालय द्वारा ही किया जावेगा।
13. मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्रायविंग लायसेंस, परमिट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति सत्यापित कर सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जावे।
14. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों के उपार्पण कार्यवाही के दौरान उपार्पण आदेश पारित किये जाते समय अभिलेख के साथ संबंधित मामले की केस डायरी भी रिकार्ड के साथ भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे तथा मुद्रेमाल भी संबंधित न्यायालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे।
15. विचाराधीन बण्डल फाईल (**रिमाण्ड प्रपत्र व सुपुर्दगी प्रपत्र**) संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जोएमएफरी के न्यायालय में भेजे जावे।
16. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के मेमोरेण्डम क्रमांक 1295/सीजे-ग/890 जबलपुर दिनांक 18.11.2013 के पालन में चालान प्रस्तुत किये जाते समय मुद्रेमाल को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
17. धारा 364 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजे जाने के साथ ही जप्तशुदा सम्पत्ति भी भेजी जावे।
18. सागर मुख्यालय पर अनुलग्नक क्र.01 के अनुसार मजिस्ट्रेट के न होने पर प्रभार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कार्य सम्पादित करेंगे।

19. केन्द्रीय जेल सागर में निरुद्ध बंदियों की मृत्यु से संबंधित जांच अंतर्गत धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जिला मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ पुरुष न्यायिक मजिस्ट्रेट कमशः श्री अंकित श्रीवास्तव द्वारा माह अप्रैल, मई, जून एवं श्री आशीष शर्मा द्वारा माह जुलाई, अगस्त, सितंबर एवं श्री रोहित शर्मा द्वारा माह अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर द्वारा की जावेगी। तहसील मुख्यालय पर स्थित उपजेल में निरुद्ध बंदी की मृत्यु हो जाने पर मृत्यु जांच की धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कार्यवाही उस तहसील मुख्यालय के वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी तथा उनकी अनुपस्थिति में उनका कार्य देख रहे मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी।
20. रिमाण्ड ड्यूटी के दिवस प्रोटोकॉल आने पर रिमाण्ड मजिस्ट्रेट ही प्रोटोकॉल ड्यूटी करेगा।

नोट:-1- उपरोक्त आदेश ग्राम न्यायालय के संबंध में भी लागू होगा, साथ ही किशोर न्याय बोर्ड, सागर में कोई सदस्य उपलब्ध न होने पर किशोर न्याय बोर्ड, सागर की पीठासीन अधिकारी के द्वारा रिमाण्ड कार्य सम्पादित किया जावेगा, इनके अवकाश/मुख्यालय से बाहर/पद रिक्त अथवा रथानांतरण होने की दशा में श्रीमती उर्मिला खेड़कर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर तथा उनकी अनुपस्थिति में श्रीमती मीनू पचौरी दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर तथा श्रीमती मीनू पचौरी दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में अनुलग्नक—एक के अनुसार प्रभार रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड संबंधी कार्य निष्पादित किया जावेगा।

(के.पी.सिंह) 13/08/24
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर
जिला—सागर म0प्र0

अनुलग्नक—एक

1. नीचे दी गयी सूची के कालम क्रमांक—1 में नामित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में उसके न्यायालय के आवश्यक कार्य क्रमशः कालम क्रमांक—2, 3, 4 में नामित मजिस्ट्रेट करेंगे।
2. कालम क्रमांक—1, 2, 3, 4 में नामित चारों मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कालम क्रमांक—4 में नामित मजिस्ट्रेट के न्यायालय के आवश्यक प्रभार वाले मजिस्ट्रेट क्रमानुसार किया जावेगा।

क्र	कॉलम क्रमांक—1	कॉलम क्रमांक—2	कॉलम क्रमांक—3	कॉलम क्रमांक—4
1	श्री केंपी० सिंह	श्री अंकित श्रीवास्तव	श्री रोहित शर्मा	श्री प्रीतम बंसल
2	श्री अंकित श्रीवास्तव	सुश्री पूजा अहिरवार	श्रीमती उर्मिला खेडकर	श्री राहुल सोनी
3	श्री प्रीतम बंसल	सुश्री रीना शर्मा	श्री आशीष शर्मा	श्री विनय राजपूत
4	श्रीमती उर्मिला खेडकर	सुश्री दीक्षा अग्रवाल	सुश्री पूजा अहिरवार	श्री अंकित श्रीवास्तव
5	श्रीमती मीनू पवौरी दुबे	सुश्री सुरभि सिंह सुमन	सुश्री शिखा वहुर्वदी	सुश्री पूजा अहिरवार
6	श्री आशीष शर्मा	श्री अंकित श्रीवास्तव	सुश्री रीना शर्मा	श्री रोहित शर्मा
7	सुश्री पूजा अहिरवार	सुश्री दीक्षा अग्रवाल	श्री अंकित श्रीवास्तव	सुश्री सुरभि सिंह सुमन
8	सुश्री रीना शर्मा	सुश्री शिखा वहुर्वदी	श्री आशीष शर्मा	श्रीमती उर्मिला खेडकर
9	श्री रोहित शर्मा	श्री विजिताश्व पुष्कर	श्रीमती मीनू पवौरी दुबे	श्री आशीष शर्मा
10	श्री राहुल सोनी	श्री आशीष शर्मा	श्री विनय सिंह राजपूत	सुश्री पूजा अहिरवार
11	सुश्री शिखा वहुर्वदी	श्रीमती मीनू पवौरी दुबे	श्रीमती उर्मिला खेडकर	श्री रोहित शर्मा
12	श्री विनय सिंह राजपूत	श्री राहुल सोनी	श्री विजिताश्व पुष्कर	सुश्री रीना शर्मा
13	सुश्री दीक्षा अग्रवाल	सुश्री पूजा अहिरवार	श्री अंकित श्रीवास्तव	सुश्री शिखा वहुर्वदी
14	श्री विजिताश्व पुष्कर	श्री आशीष शर्मा	सुश्री शिखा वहुर्वदी	सुश्री पूजा अहिरवार
15	सुश्री सुरभि सिंह सुमन	श्री राहुल सोनी	सुश्री रीना शर्मा	श्री रोहित शर्मा
16	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर	श्री सवेन्द्र भदकारिया	सुश्री रौम्या विजयवर्गीय	सुश्री श्रेया गक्खर
17	श्री सचेन्द्र भदकारिया	सुश्री श्रेया गक्खर	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर
18	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर	सुश्री श्रेया गक्खर	श्री सचेन्द्र भदकारिया
19	सुश्री श्रेया गक्खर	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय	श्रीमती रुचितासिंह गुर्जर	श्री सचेन्द्र भदकारिया
20	श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जोशी	श्री शरद जोशी	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर खुरई	तहसील खुरई में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट
21	श्री शरद जोशी	श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जोशी	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय, खुरई	तहसील खुरई में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट
22	सुश्री निकिता वौधान	श्री मनोरम तिवारी	श्री दीपू शाक्य	श्री सतीश शर्मा रहली
23	श्री मनोरम तिवारी	सुश्री निकिता वौधान	श्री दीपू शाक्य	श्री नितिन वर्मा, रहली
24	श्री दीपू शाक्य	श्री मनोरम तिवारी	सुश्री निकिता वौधान	श्री नितिन वर्मा, रहली
25	श्री सतीश शर्मा	श्री नितिन वर्मा	सुश्री रोनल सिंह जादौन	श्री अम्बर श्रीवास्तव

26	श्री नितिन वर्मा	श्री सतीश शर्मा	श्री अम्बर श्रीवारतव, गढ़ाकोटा	सुश्री सोनल सिंह जादौन, गढ़ाकोटा
27	सुश्री सोनल सिंह जादौन	श्री अम्बर श्रीवारतव	श्री सतीश शर्मा रहली	श्री नितिन वर्मा, रहली
28	श्री अम्बर श्रीवारतव	सुश्री सोनल सिंह जादौन	श्री नितिन वर्मा, रहली	श्री शर्मा, रहली
29	श्री आशीष कुमार माथौरिया	सुश्री प्रिया गुप्ता	सुश्री राध्या गुदगल	सुश्री रीना शर्मा
30	सुश्री प्रिया गुप्ता	सुश्री राध्या गुदगल	श्री आशीष माथौरिया	सुश्री पूजा अहिरवार
31	सुश्री राध्या गुदगल	श्री आशीष कुमार माथौरिया	सुश्री प्रिया गुप्ता	सुश्री दीक्षा अग्रवाल
32	श्री रात्यम देवलिया	श्री मनोरग तिवारी	श्री दीपू शाक्य	सुश्री निकिता चौहान
33	श्री मृदुल जैन	श्री शरद जोशी	श्री गीनाक्षी शर्मा जोशी	तहसील खुरई में पदरथ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट
34	सुश्री निहारिका व्यास	श्री योगेश चालीसा	सुश्री श्रेया गक्खर	श्रीमती रुविता सिंह गुर्जर
35	श्री योगेश चालीसा	सुश्री निहारिका व्यास	सुश्री रौम्या विजवर्गीय	सुश्री श्रेया गक्खर

नोट:— 1—उपरोक्त आदेश ग्राम न्यायालय एवं किशोर न्याय बोर्ड के संबंध में भी लागू होगा।

2.— इसी तरह अवकाश के दिनों में संपादित की जाने वाली रिमाण्ड ड्यूटी के संबंध में यदि किसी मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण हो जाता है या कोई मजिस्ट्रेट लंबी अवधि के अवकाश पर जाता है, तो कार्य विभाजन पत्रक के अनुलग्न—एक के अनुसार प्रभार रखने वाले मजिस्ट्रेट अवकाश के दिनों में रिमाण्ड कार्य एवं उक्त मजिस्ट्रेट के न्यायालय के कार्य संपादित करेंगे।

(कृष्ण सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर
जिला—सागर म0प्र0

सारणी क्रमांक-2

महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों को छोड़कर शेष मामलों के लिए आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत मामलों में निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट उनके सामने दर्शित आरक्षी केन्द्रों के धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के कथन अभिलिखित करेंगे :—

<u>क्र.</u>	<u>न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम</u>	<u>आरक्षी केन्द्र</u>
1	2	3
1—	श्री अंकित श्रीवास्तव	गोपालगंज, नरयावली, वन विभाग
2—	श्री आशीष शर्मा सीनियर, सागर	मकरोनिया, कोतवाली, जी.आर.पी. सागर
3—	श्री रोहित शर्मा सागर	सिविल लाईन, सुखबी, केण्ट,
4—	श्री विनयसिंह राजपूत, सागर	राहतगढ़, बहेरिया, जैसीनगर
5—	श्री राहुल सोनी, सागर	खनिज विभाग, आबकारी,
6—	श्री विजिताश्व पुष्कर	सानौधा, मोतीनगर एवं यातायात
7—	सुश्री रुचिता सिंह गुर्जर, खुरई	बांदरी, खिमलासा
8—	श्री सचेन्द्र कुमार भदकारिया, खुरई	खुरई
9—	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय, खुरई	मालथौन।
10—	श्री शरद जोशी, बीना	भानगढ़
11—	श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जोशी बीना	बीना, आगासौद, जी.आर.पी.बीना
12—	श्री आशीष माथोरिया, बण्डा	बंडा, विनायका
13—	सुश्री प्रिया गुप्ता	बहरोल, बरायठा
14—	सुश्री संध्या मुदगल, बण्डा	शाहगढ़, छानबीला
15—	श्री सतीश शर्मा, रहली	बलेह
16—	श्री नितिन वर्मा	रहली
17—	श्री अम्बर श्रीवास्तव, गढ़ाकोटा	गढ़ाकोटा
18—	श्री मनोरम तिवारी, देवरी	आरक्षी केन्द्र केसली एवं गौरझामर (गौरझामर के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील केसली के अंतर्गत आते हैं) से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण।
19—	श्री दीपू शाक्य	महराजपुर
20—	श्री सत्यम देवलिया, केसली	आरक्षी केन्द्र देवरी एवं गौरझामर (गौरझामर के अंतर्गत आने वाले वे ग्राम जो कि तहसील देवरी के अंतर्गत आते हैं)।

1— सारणी क्रमांक—2 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर अनुलग्नक—एक में उल्लेखित उनके प्रभारानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट कथन ले सकेंगे धारा—183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु पेश हो तो उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट का प्रभारी कथन लेंगे, यदि प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट कथन लेने से इन्कार करते हैं या ऐसी कोई कार्यवाही करते हैं, जिससे साक्षी के कथन लेने में असुविधा होती हो, तो इसकी सूचना तत्काल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर प्रेषित करेंगे।

नोट:-

1. श्रृंखला न्यायालय राहतगढ़ में पीठासीन अधिकारी की बैठक के दौरान सार्वजनिक अवकाश में आरक्षी केन्द्र राहतगढ़ की रिमांड ड्यूटी श्री राहुल सोनी के द्वारा संपादित की जावेगी, उनके अवकाश पर रहने या अन्य कारणों के दौरान आरक्षी केन्द्र राहतगढ़ की रिमांड ड्यूटी सागर मुख्यालय में नियत न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित की जावेगी।
2. उक्त कार्य—विभाजन आदेश श्रृंखला न्यायालय राहतगढ़ की बैठक दिनांक 16.08.2024 से प्रभावशील होगा।
3. उपरोक्त कार्य—विभाजन आदेश के अतिरिक्त शेष कार्य—विभाजन आदेश पूर्वानुसार रहेगा।

S/
(के०पी० सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर
जिला—सागर म०प्र०

प्रतिलिपि:-

1. कार्यालय— माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सागर
2. पंजीयन कार्यालय, सागर को सूचनार्थ।
3. सिस्टम ऑफीसर, पंजीयन कार्यालय, सागर को समर्त संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचित करने हेतु।

Dy 13/08/24
(के०पी० सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर
जिला—सागर म०प्र०

सूची संख्या "A"

तहशील सागर/राहतगढ थाना नरयावली अंतर्गत आने वाले
ग्रामों के नाम

संक्र. 1	ग्राम का नाम 2	थाना 4	चौकी का नाम 5	तहशील का नाम 6	रिमार्क 7
1	नरयावली	नरयावली	-	सागर	-
2	जरुवाखेड़ा	नरयावली	जरुवाखेड़ा	सागर	-
3	जलधर	नरयावली	जरुवाखेड़ा	राहतगढ	-
4	इशुरवारा	नरयावली	-	सागर	-
5	पीपरा	नरयावली	-	राहतगढ	-
6	चांदामउ	नरयावली	जरुवाखेड़ा	सागर	-
7	कांचरी	नरयावली	-	सागर	-
8	बडोरा	नरयावली	-	सागर	-
9	बेरखेड़ी सुवंश	नरयावली	-	सागर	-
10	बसिया गंगे	नरयावली	-	राहतगढ	-
11	लुहारी	नरयावली	-	सागर	-
12	मुटिया कलरई	नरयावली	-	सागर	-
13	मानक चैक	नरयावली	-	राहतगढ	-
14	टीला बुर्जुग	नरयावली	-	राहतगढ	-
15	जरारा	नरयावली	-	सागर	-
16	तोडा	नरयावली	जरुवाखेड़ा	सागर	-
17	मूढ़रा	नरयावली	जरुवाखेड़ा	सागर	-
18	कोडनी	नरयावली	-	सागर	-
19	बंसिया भोती	नरयावली	जरुवाखेड़ा	सागर	-
20	सेमरा लहरिया	नरयावली	-	सागर	-
21	बरोदिया बल्लभ	नरयावली	जरुवाखेड़ा	राहतगढ	-
22	ढोगा	नरयावली	-	सागर	-
23	जेरई	नरयावली	-	सागर	-
24	बसिया भान्सा	नरयावली	-	सागर	-
25	हानौता परिक्षित	नरयावली	जरुवाखेड़ा	सागर	-
26	हरवंशपुरा	नरयावली	-	राहतगढ	-
27	कनेरा नीखर	नरयावली	-	सागर	-
28	रामछायरी	नरयावली	-	सागर	-
29	मारा इमलिया	नरयावली	-	सागर	-
30	लुहारा	नरयावली	जरुवाखेड़ा	राहतगढ	-
31	सिलेरा	नरयावली	-	सागर	-

32	खेराई	नरयावली	जरुवाखेडा	सागर	
33	समोस	नरयावली		सागर	
34	खेंग मलैया	नरयावली		सागर	
35	क्रिश्नपुरा	नरयावली		सागर	
36	लक्ष्मनपुरा	नरयावली	जरुवाखेडा	राहतगढ	
37	बमूग	नरयावली	जरुवाखेडा	सागर	
38	गुनगुचा	नरयावली	-	सागर	
39	बम्होरी	नरयावली	-	राहतगढ	
40	मदनपुरा	नरयावली	-	सागर	
41	ननउ	नरयावली	जरुवाखेडा	राहतगढ	
42	खानपुर	नरयावली	-	सागर	
43	बरोदिया गंसाई	नरयावली	-	सागर	
44	खामखेडा	नरयावली	-	सागर	
45	खिरिया नीखर	नरयावली	-	सागर	
46	ढाना	नरयावली	-	सागर	
47	डाबरी	नरयावली	-	सागर	
48	पिपरिया खंगार	नरयावली	-	सागर	
49	रानीपुरा	नरयावली	-	सागर	
50	खकरोन	नरयावली	-	सागर	
51	बेलई घाट	नरयावली	-	सागर	
52	सेमरा चरखरा	नरयावली	-	राहतगढ	
53	रूपऊ	नरयावली	जरुवाखेडा	राहतगढ	
54	इकपना बसोना	नरयावली	-	सागर	
55	बेरखेडी चम्पत	नरयावली	-	सागर	
56	बारोल	नरयावली	जरुवाखेडा	राहतगढ	
57	पाली	नरयावली	जरुवाखेडा	सागर	
58	कैरया हजारी	नरयावली	-	सागर	
59	नगना	नरयावली	-	सागर	
60	हीरापुर	नरयावली	-	सागर	
61	बेलई गुरू	नरयावली	-	सागर	
62	बेरखेडी खुर्द	नरयावली	-	सागर	
63	हवला	नरयावली	-	सागर	

**तहशील सागर/राहतगढ थाना राहतगढ/नरयावली अंतर्गत
आने वाले ग्रामों के नाम**

स.क्र.	ग्राम का नाम	थाना	चौकी का नाम	तहशील का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	गहतगढ	गहतगढ		राहतगढ	0
2	सीहोरा	0	सीहोरा	राहतगढ	0
3	भबूकाबारी	राहतगढ		राहतगढ	0
4	बट्यावरा	राहतगढ		राहतगढ	0
5	महूनागुजर	राहतगढ		राहतगढ	0
6	लखनपुर	राहतगढ		राहतगढ	0
7	हिरणखेडा	राहतगढ		राहतगढ	0
8	पथरिया	राहतगढ		राहतगढ	0
9	बिनायकी	राहतगढ		राहतगढ	0
10	झिला	राहतगढ		राहतगढ	0
11	परासरी त्यैंदा	राहतगढ		राहतगढ	0
12	मसुराई	राहतगढ		राहतगढ	0
13	महोद	राहतगढ		राहतगढ	0
14	खैजरामाफी	राहतगढ		राहतगढ	0
15	कठौदा	राहतगढ		राहतगढ	0
16	किटुआ	राहतगढ		राहतगढ	0
17	किशनपुरा	राहतगढ		राहतगढ	0
18	मेनवाराकलां	राहतगढ		राहतगढ	0
19	चंदनहारी	राहतगढ		राहतगढ	0
20	गंभीरिया	0	सीहोरा	राहतगढ	0
21	गावरी	राहतगढ		राहतगढ	0
22	मोहासा	राहतगढ		राहतगढ	0
23	मेनवारा खुर्द	राहतगढ		राहतगढ	0
24	टेहरा	राहतगढ		राहतगढ	0
25	ढकरई	राहतगढ		राहतगढ	0
26	बिचपुरी	राहतगढ		राहतगढ	0
27	कुंदा फतेहपुरा गुदरा	0	सीहोरा	राहतगढ	0
30	सेमरा घोना	0	सीहोरा	राहतगढ	0
31	मानकी	राहतगढ		राहतगढ	0
32	सगोनी कलां	राहतगढ		राहतगढ	0
33	सगोनी खुर्द	राहतगढ		राहतगढ	0
34	गमरिया	राहतगढ		राहतगढ	0
35	बेरखेडी सडक	राहतगढ		राहतगढ	0
36	हिनौतिया कलां	राहतगढ		राहतगढ	0
37	शेरपुर दरकौली	राहतगढ		राहतगढ	0
38	नोरजा	0	सीहोरा	राहतगढ	0
39	परासरी कलां	राहतगढ		राहतगढ	0
40	मुरली बासौदा	राहतगढ		राहतगढ	0
41	ऐरन मिर्जापुर	राहतगढ		राहतगढ	0
42	खरी गुमरीया	राहतगढ		राहतगढ	0
43	कोलुआ इस्लाम	राहतगढ		राहतगढ	0

	मान्यता	प्रक्रिया	प्रक्रिया	0	
14	नाटमा	राहतगढ़	राहतगढ़	0	
15	जवास	राहतगढ़	राहतगढ़	0	
16	रजोली	राहतगढ़	राहतगढ़	0	
17	जमनदाना	राहतगढ़	राहतगढ़	0	
18	कर्मेतिया खुर्द	राहतगढ़	राहतगढ़	0	
19	हुगा	राहतगढ़	राहतगढ़	0	
20	अलीनगर	राहतगढ़	राहतगढ़	0	
21	पेखुल्लोन	राहतगढ़	राहतगढ़	0	
22	कोरा	राहतगढ़	राहतगढ़	0	
23	पच पीपरा	0	सीहोरा	राहतगढ़	0
24	जोखेड़ी गोपाल	नरयावली		राहतगढ़	0
25	द्वकानिया	0	सीहोरा	राहतगढ़	0
26	मनेशिया	0	सीहोरा	राहतगढ़	0
27	सुमेरेडी	0	सीहोरा	राहतगढ़	0
28	पाटन	0	सीहोरा	सागर	0
29	भैसा	0	सीहोरा	राहतगढ़	0
30	खजुरिया	0	सीहोरा	राहतगढ़	0
31	साईखेडा	राहतगढ़		राहतगढ़	0
32	रमुलपुर	राहतगढ़		राहतगढ़	0
33	शिकारपुर	राहतगढ़		राहतगढ़	0
34	मुगरयाऊ	राहतगढ़		राहतगढ़	0
35	महुआ खेडा	राहतगढ़		राहतगढ़	0
36	बेहटा	राहतगढ़		राहतगढ़	0
37	परामरी खुर्द	राहतगढ़		राहतगढ़	0
38	गांजीखेडा	राहतगढ़		राहतगढ़	0
39	जैतपुरा	राहतगढ़		राहतगढ़	0
40	सेनपा	राहतगढ़		राहतगढ़	0
41	पडारसेई	राहतगढ़		राहतगढ़	0
42	सोठिया	राहतगढ़		राहतगढ़	0
43	मनकापुर	राहतगढ़		राहतगढ़	0
44	मुढरी	राहतगढ़		राहतगढ़	0
45	मरदानपुर	राहतगढ़		राहतगढ़	0
46	खिरीयाकाजी	राहतगढ़		राहतगढ़	0
47	धनौरा	राहतगढ़		राहतगढ़	0
48	नयापुरा	राहतगढ़		राहतगढ़	0
49	टेकरी	राहतगढ़		राहतगढ़	0
50	सेमराकलां	राहतगढ़		राहतगढ़	0
51	मुट्ठी सिंगार	राहतगढ़		राहतगढ़	0
52	नादनबाडा	राहतगढ़		राहतगढ़	0
53	कोलुआ	राहतगढ़		राहतगढ़	0
54	मुरियाखेडा	राहतगढ़		राहतगढ़	0
55	सेमराधाट	0	सीहोरा	राहतगढ़	0
56	फुटेरा	0	सीहोरा	सागर	0
57	लौटना	नरयावली		नरयावली	0
58	लोटनी	नरयावली		नरयावली	0

क्रमांक	वर्गीकृति	प्राप्ति दर्शक	संग्रह	विवरण
91	ममान मेटा	राहतगढ़	राहतगढ़	0
92	चम्हारी मेटा	राहतगढ़	राहतगढ़	0
93	पांगवेड़ी	राहतगढ़	राहतगढ़	0
94	गोमानवेड़ी	राहतगढ़	राहतगढ़	0
95	धारायनगढ़	राहतगढ़	राहतगढ़	0
96	पन्ना	राहतगढ़	राहतगढ़	0
97	ब्राक्स आ	राहतगढ़	राहतगढ़	0
98	कैया	राहतगढ़	राहतगढ़	0
99	खिरिया मनमोहन	राहतगढ़	राहतगढ़	0
100	डाबरी	राहतगढ़	राहतगढ़	0
101	बहादुरपुर	राहतगढ़	राहतगढ़	0
102	बरबटू	राहतगढ़	राहतगढ़	0
103	बिलहा	राहतगढ़	राहतगढ़	0
104	बकेना	राहतगढ़	राहतगढ़	0
105	कोरजा	राहतगढ़	राहतगढ़	0
106	रसूल्ला वटयावदा	राहतगढ़	राहतगढ़	0
107	बरखेडा	राहतगढ़	राहतगढ़	0
108	सोनपुर	राहतगढ़	राहतगढ़	0
109	पिपरिया खास	राहतगढ़	राहतगढ़	0
110	निवोदिया	राहतगढ़	राहतगढ़	0
111	विसालपुर	राहतगढ़	राहतगढ़	0
112	कल्याणपुर	राहतगढ़	राहतगढ़	0
113	परसोरा	राहतगढ़	राहतगढ़	0
114	पिपरिया चोर	राहतगढ़	राहतगढ़	0
115	गढाघाट	राहतगढ़	राहतगढ़	0
116	खाताखेड़ी	राहतगढ़	राहतगढ़	0
117	पीपलखेड़ी	राहतगढ़	राहतगढ़	0
118	सेमराजिला	राहतगढ़	राहतगढ़	0
119	रूसल्ला त्यौंदा	राहतगढ़	राहतगढ़	0
120	गढ़ा	राहतगढ़	राहतगढ़	0
121	ततारपुर	राहतगढ़	राहतगढ़	0
122	काली पठार	राहतगढ़	राहतगढ़	0
123	लालबाग	राहतगढ़	राहतगढ़	0
124	मसानियां	राहतगढ़	राहतगढ़	0
125	लचकयाई	राहतगढ़	राहतगढ़	0
126	दादपुर	राहतगढ़	राहतगढ़	0
127	महुआखेडा	राहतगढ़	राहतगढ़	0
128	फाजलपुर	राहतगढ़	राहतगढ़	0
129	मिर्जापुर	राहतगढ़	राहतगढ़	0
130	चकरपुर	राहतगढ़	राहतगढ़	0
131	चौकी	राहतगढ़	राहतगढ़	0
132	मढेवरा	राहतगढ़	राहतगढ़	0
133	काठीघाटी	राहतगढ़	राहतगढ़	0

